



कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी कसडोल (ग्रामीण)
जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

-:: ज्ञापन ::-

कमांक / 1298 / जन.लि. / तह. / 2018
प्रति

कसडोल दिनांक 24.04.2018

20 Census
Pl cheem map

विषय :- जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
गोविंद सारंग परिसर तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर 492006
भारत की जनगणना 2021 के लिये योजना क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों
की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की
सूची का सत्यापन कर भेजने बावत् ।
संदर्भ :- आपका पत्र कमांक आई-11011/1/2018-जन-डीसीओ(छ.ग.)/H1409
दिनांक 01.02.2018 ।

-::000::-

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है तहसील कसडोल (ग्रामीण) के
अंतर्गत वनग्राम रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा जिला महासमुंद (छ.ग.) में विस्थापित हो
गया है । संबंधित ग्राम का आदेश/अधिसूचना की कापी वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल
बलौदाबाजार (छ.ग.) को पत्र जारी किया गया था परन्तु संबंधित विभाग से अधिसूचना की
कापी प्रदाय नहीं किया गया है, इसलिये आदेश/अधिसूचना की कापी संलग्न नहीं किया
गया है । जनगणना 2011 के ग्राम सूची का सत्यापन हिन्दी/अंग्रेजी में लाल पेन से
संसोधन कर अंकित किया गया है ।

अतः जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित ।
संलग्न :- जनगणना 2011 का ग्राम सूची का सत्यापन ।

धर

तहसीलदार

एवं चार्ज अधिकारी

कसडोल (ग्रामीण)

कसडोल दिनांक 24.04.2018

कमांक / 1299 / जन.लि. / तह. / 2018
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर (जन.शा.) बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
02. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कसडोल को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित

धर

तहसीलदार

एवं चार्ज अधिकारी

कसडोल (ग्रामीण)

कार्यालय, कलेक्टर (जनगणना शाखा) बलौदाबाजार-भाटापारा

Phone : 07727-223536

Fax : 07727-223445

email : deo-balodabazar.cg@nic.in

:: ज्ञापन ::

क्रमांक/18/जनगणना/2019
प्रति,

बलौदाबाजार, दिनांक...04/02/19

निदेशक
जनगणना कार्य निदेशालय,
छत्तीसगढ़
गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

- विषय :- भारत की जनगणना 2021 के लिए योजना- क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची के सत्यापन के संबंध में।
- संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई-11011/2018/जन.-डीसीओ (छ.ग.)/225 दिनांक 25.05.2018

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के वनग्राम रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा का जिला महासमुंद में विस्थापन संबंधी जानकारी चाही गयी थी।

अतएव इस संबंध में 03 वनग्रामों क्रमशः रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा का जिला महासमुंद में विस्थापन किये जाने हेतु छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है। साथ ही साथ वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा दिये गये जानकारी अनुसार वनग्राम नवापारा का महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में भवा (bhawa) में विस्थापित हुआ है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी

जनगणना

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

F.No. S-131/2006-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan, C.G.O Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510.
Dated: 16th September 2008

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Raipur

पंजी क्रमांक	3262	/ 2006	10, 7, 74
दिनांक	25	/ 9	1008

Sub: Diversion of 922.30 ha (originally proposed 1203.00 ha) of forest land for relocation Nawapara, Rampur, Latadadar forest village of Barnawapara Wildlife Sanctuary outside the protected area in Mahasamund district of Chhattisgarh.

On directed to refer to the State Government's letter no. F - 5 - 16 / 2005 / 10 - 2 dated 7.10.2006 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act.

After careful examination of the proposal of the State Government, and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, in-principle approval of the Central Government is hereby granted for diversion of 922.30 ha (originally proposed 1203.00 ha) of forest land for relocation Nawapara, Rampur, Latadadar forest village of Barnawapara Wildlife Sanctuary outside the protected area in Mahasamund district of Chhattisgarh subject to fulfillment of the following conditions:

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged unless the Hon'ble Supreme Court of India vacates its order dated 13.11.2000 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 1995 regarding ban on de-reservation of forests.
- (ii) Areas vacated by villagers in the sanctuary will be transferred and mutated in favour of the Forest Department and shall be developed into pasture / meadow land at the project cost. This vacated land will be declared as RF/PF as per the provision of Indian Forest Act, 1927.
- (iii) Steps may be taken to minimize biotic pressure of this resettlement over adjoining / nearby forests.
- (iv) The forest land shall not be utilized for any purpose other than that specified in the proposal.

Any other condition which the State Government or Chief Conservator of Forests (Central), Bhopal Office, Bhopal may stipulate from time to time in the interest of afforestation, protection and improvement of flora and fauna of the area.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

- Copy to:-
1. The Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.
 2. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office of MoEF, Bhopal.
 3. The Nodal Officer, Forest Department, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.
 4. User Agency.
 5. Guard File.
 6. Monitoring Cell of FC Section.

S. Singh (FC) 24/9/08

(F)

23 SEP 2008

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी पिथौरा, जिला- महासमुंद (छ0ग0)

--:: ज्ञापन ::--

क्रमांक/ 149 /क/जनगणना/2018
प्रति,

पिथौरा, दिनांक 16/05/2018

जनगणना कार्य निदेशालय
छत्तीसगढ़ रायपुर



21-5-18

21/5/18
0000
00000000

विषय :-

भारत की जनगणना 2021 के लिये योजना क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची का सत्यापन ।

संदर्भ :-

जनगणना कार्य निदेशालय छ.ग. गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/आई-11011/1/2018-जन.डीसीओ छ0ग0/185 दिनांक 8/5/18 एवं कार्यालय कलेक्टर महासमुंद का पत्र क्र/278/क/जन./2018 महासमुंद दिनांक 03 मई 2018.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि तहसील पिथौरा (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त हुआ है। जिसका सत्यापन कर लाल स्याही से चिन्हित (गोला लगाकर) सही नाम अंकित कर दिया गया है।

2 जनगणना 2011 में वन ग्राम रामपुर, जिला बलौदा बाजार, विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत समाहित था। जिसे विस्थापन पश्चात तहसील पिथौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम श्रीरामपुर छ0ग0 राजस्व सहिता 1969 (क्रमांक 20 सन 1969) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। जिसकी अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

3 विस्थापित वन ग्राम लाटादादर को पिथौरा विकासखण्ड में समाहित कर राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु छ0ग0 भासन वन विभाग रायपुर मंत्रालय के कैपिटल काम्पलेक्स महानदी भवन रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। जिसका रकबा 255.400 हे0 में दर्ज है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :-

1. कार्या0कले0महा0द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति।
2. छ0ग0 शासन वन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति।
3. राजस्व ग्राम की सत्यापित छायाप्रति।
4. ब्यस्थापित वन ग्राम का चिहांकित नक्शा की छायाप्रति।
5. हार्ड कॉपी एवं ईमेल dco-chh.rgi@censusindia.gov.in में प्रेषित।

तहसीलदार

एवं चार्ज अधिकारी
पिथौरा

पृ. क्रमांक/ 150 /क/जनगणना/2018
प्रतिलिपि:-

पिथौरा, दिनांक 16/05/2018

1. कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी महासमुंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

तहसीलदार

एवं चार्ज अधिकारी
पिथौरा

न्यायालय न्याय तहसीलदार, उप-तहसील ~~महासमुद्र~~ (उ.प्र.)
-जिला- महासमुद्र (उ.प्र.)
॥ ज्ञापन ॥

क्र. 572/ता./उप.तह./2019 दिनांक 27/11/2019
प्रति,




श्री-प्रदीप कुमार साव,
(उप निदेशक)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
जनगणना कार्य, निदेशालय, न्यू दिल्ली.

विषय:- तहसील कसडोल जिला बर्नोदावाजार, भाटापारा, महासमुद्र में
-विस्थापित नवापारा की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1101/20/2018 दि. 27/11/2019.

— 000 —
विषयान्तर्गत श्री जोगेंद्र नायक, अमर, कलेक्टर, बर्नोदावाजार
भाटापारा से चर्चासुत्र कसडोल तहसील के अंतर्गत स्थित वन
ग्राम नवापारा को तहसील महासमुद्र जिला- महासमुद्र में
रामसागरपारा के नाम से भावा एवं सिनोथा ग्राम के पास
पुनः विस्थापित किया गया है। संबंध में जानकारी चाही गई
है। उक्त संबंध में पत्र एवं कोनी चर्चा द्वारा उपरोक्त ग्राम
-विस्थापित रामसागरपारा ग्राम पंचायत भावा के संबंध में
जानकारी की जिला-बर्नोदावाजार कसडोल के नवागांव के
ग्रामिणों को विस्थापित कर फॉरेस्ट ग्रेव मला के तहत
पट्टा के ग्राम पंचायत भावा एवं सिनोथा के बापु स्थल से
-विस्थापित किया है। जिसके क्षेत्रफल की जानकारी फॉरेस्ट से
लेकर प्रदान किया जावेगा। विस्थापितों की संख्या 168
जनसंख्या लगभग 662 है। क्षेत्रफल 515.340 हे. है।

-उपरोक्त जानकारी प.ह.नं. एवं ग्राम पंचायत सचिव
से प्राप्त कर प्रेषित कि जायेगी। अतः संबंध में जानकारी आपकी
ओर सादर सन्देश है।

९.10.


न्याय तहसीलदार
जिला-महासमुद्र (उ.प्र.)